न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 85/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कान्तीबाई पत्नि जानकीलाल जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल

– प्रार्थी

बनाम

1. पप्पूलाल पि. कनीराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
2. मदनलाल पि. कनीराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
3. मोहनलाल पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
4. शिवसिंह पि. कनीराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
5. हरीसिंह पि. रामनारायण जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
6. रत्तीराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
7. रतनलाल पि. रामप्रताप जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
8. प्रकाशचन्द पि. शिवसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
9. भगवानसिंह पि. सालगराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
10. मानसिंह पि. सालगराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
11. प्रहलाद पि. सालगराम जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
12. राजकुमार उर्फ राजेश पि. हरीसिंह जाति धाकड नि. सामिया तहसील सुनेल
13. आई सी आई सी आई जरिये शाखा प्रबंधक भवानीमण्डी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील अप्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

आदेश **दिनांक :**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 212 रा. टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 221 की आराजी ख.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर भूमि एवं खाता सं. 218 की आराजी किता 11 रकबा 5.0711 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के शामलाती पैतिक आराजी होकर पारिवारिक सेटलमेंट व सुविधानुसार अपने हक व अधिकार अनुसार बंटवारा कर रखा है एवं पारिवारिक सेटलमेंट अनुसार काबिज काश्त है। अपनी अपनी आराजी के तार फेंसिंग बावण्ड्री कर रखी है।

वादग्रस्त आराजी में से ख.नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर प्रार्थिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। मुताबिक रिकार्ड नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थिया काबिज काश्त है। प्रार्थिया द्वारा उक्त आराजियात को अपने ससुर पूरीलालजी व बुआ मोरबाई से विक्रय पत्र से क्रय कर अपने नाम दर्ज करवायी है। ख.नं. 515/681 में तार फेंसिग किये हुये लगभग 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है परन्तु अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है एवं ताकत के बल पर जबरन रास्ता कायम करना चाह रहे है। वादग्रस्त आराजी के लगवा अप्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का सनातनी रास्ता आज भी कायम है जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण को समझाईश करने पर वे लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीया की है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम सामिया तहसील सुनेल ख.नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर भूमि में प्रार्थिया के कब्जे काश्त में व्यवधान कारित ना करे एवं यथास्थिति बनाये रखकर किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सामिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 221 , 218 की नकल एवं नक्शा ट्रेस की छायाप्रतियां , रजिस्ट्री दिनांक 28.05.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 13 की ओर से एडवोकेट श्री अशोक पाटीदार ने वकालातनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 12 की ओर से एडवोकेट श्री हुकुमचन्द कुमावत ने वकालातनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि ग्राम सामिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 221 व 218 की आराजियात शामलाती खातेदारी की है जिसमें प्रार्थिया के समान ही अप्रार्थीगण भी खातेदार है। प्रार्थिया ने जान

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बूझकर सभी सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थना पत्र दोषयुक्त होने से पोषनीय नहीं होकर काबिल खारीज है। प्रार्थिया ने अपने पूरे प्रार्थना पत्र में रास्ते को लेकर कथन किया है। प्रार्थिया की सोच दूषित होकर रास्ता बंद करने की रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक खातेदार को सहखातेदार की आराजी पर हक दृष्टभाग , अंश बिस्वा भूमि में आने जाने का अधिकार है जब तक कि विधिवत बंटवारा होकर अलग खाता कायम नहीं हो जाता है। इसलिये प्रार्थिया सहखातेदारो के विरूद्ध स्थायी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की पात्रता नहीं रखती है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया का 2/19 हिस्सा है एवं राजस्व नक्शे में प्रार्थिया के 2/19 हिस्से का इन्द्राज अलग नहीं है। प्रार्थना पत्र लोकस स्टेण्डाई से बाधित है इसलिये प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सामिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के 221 की आराजी ख.नं. 515/681 रकबा 0.2909 हेक्टर भूमि एवं खाता सं. 218 की आराजी किता 11 रकबा 5.0711 हेक्टर भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामलाती खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदारान का उनके हिस्से अनुसार हक व अधिकार होता है। ऐसे में प्रार्थिया अपने खातेदारी व हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा कराये बिना सहखातेदारो के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरनीय क्षति की संभावना सभी पक्षकारान को होगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner